

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक / 1880 / भवन / 2021

रायपुर, दिनांक 21/09/2021

प्रति,

निविदा फार्म का मूल्य रू. 1,000/-

मेसर्स,

.....

.....

(छत्तीसगढ़)

विषय :- छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के पुराना कार्यालय भवन, एकीकृत भवन के भू-तल/प्रथम तल, नवीन स्ट्रॉगरूम भवन, सम्पूर्ण परिसर, नवीन डाटा कक्ष, नवीन परीक्षा कक्ष एवं आवासीय परिसर की साफ-सफाई कार्य करने बाबत।

कार्यालय छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के पुराना भवन, एकीकृत भवन के भू-तल/प्रथम-तल भाग, नवीन स्ट्रॉगरूम भवन सम्पूर्ण भाग, नवीन डाटा कक्ष, नवीन परीक्षा कक्ष, कार्यालय के सम्पूर्ण परिसर एवं आवासीय परिसर की साफ-सफाई तथा मुख्य द्वार तक सम्पूर्ण परिसर की साफ-सफाई कार्य करने हेतु निविदा फार्म क्रमांक, दिया जा रहा है।

इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है :-

1. निविदा जमा करने हेतु तकनीकी प्रस्ताव (परिशिष्ट - 'अ')
2. निविदा फार्म वित्तीय प्रस्ताव (परिशिष्ट- 'ब')
3. निविदा की शर्तें एवं नियम (परिशिष्ट- 'स')

आपको निविदा दिनांक 13/10/2021 को दोपहर 03.00 बजे तक मण्डल के एकीकृत भवन, भू-तल में उप सचिव (प्रशासन) के कक्ष क्रमांक-06 में जमा करनी होगी। निश्चित दिनांक एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी ।

(प्रोफेसर व्ही.के.गोयल)

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

0.

निविदा फार्म का मूल्य : 1,000/-

-: निविदा-फार्म :-

क्रमांक

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के पुराना कार्यालय भवन, एकीकृत भवन के भू-तल/प्रथम तल भाग, नवीन स्ट्रॉगरूम भवन, नवीन डाटा कक्षा, नवीन परीक्षा कक्षा, सम्पूर्ण कार्यालय परिसर एवं आवासीय परिसर के साफ-सफाई कार्य हेतु

निविदा संबंधी निर्धारित तिथियाँ

स.क.	विवरण	दिनांक	समय
1.	निविदा विक्रय	दिनांक 13/10/2021 तक	02:00 बजे तक
2.	निविदा आमंत्रण	दिनांक 13/10/2021 तक	03:00 बजे तक
3.	निविदा खोलना	दिनांक 13/10/2021 को	04:00 बजे

1. तकनीकी प्रस्ताव का लिफाफा 'अ' में एवं वित्तीय प्रस्ताव का लिफाफा 'ब' में अलग-अलग दो सील बंद लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा।
2. तकनीकी प्रस्ताव के साथ तकनीकी प्रस्ताव का निविदा फार्म संबंधी दस्तावेज एवं निविदा की शर्तें संलग्न की जाना है।
3. तकनीकी प्रस्ताव पूर्ण रूप से पाए जाने वाले निविदाकारों के ही वित्तीय प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
4. तकनीकी प्रस्ताव में पूर्ण वांछित जानकारी नहीं दिये जाने अथवा केवल आधी अधूरी जानकारी दिये जाने, शर्तें सम्मिलित करने, अस्पष्ट जानकारी दिये जाने पर निविदाकार को पृथक कर दिया जाएगा तथा उनके वित्तीय प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. वित्तीय प्रस्ताव में राशि अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी, जिसमें सभी प्रकार के कर, शुल्क आदि सम्मिलित होना चाहिए।

(Signature)
21/9/21
(प्रोफेसर व्ही.के.गोयल)

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

रायपुर

/2/

- (ब) वर्तमान में कहां-कहां कितनी अवधि से कार्य कर रहे हैं व कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं।

क्रमांक	संस्था का नाम	कार्य प्रारंभ करने की दिनांक एवं अवधि	कर्मचारियों की संख्या

7. वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के आयकर रिटर्न (INCOME TAX RETURN) की छायाप्रति संलग्न करें।
8. श्रम विभाग की अनुज्ञप्ति की छायाप्रति संलग्न करें।
9. फर्म एण्ड सोसायटी या नगर निगम या नगर पालिका छ.ग. या रजिस्ट्रार आफ कम्पनी का पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें।
10. जी एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करें।

मैंने/हमने निविदा में दी गई समस्त शर्तें पढ़ ली हैं, मुझे/हमें समस्त शर्तें स्वीकार है। प्रमाण स्वरूप मैंने/हमने निविदा की शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म की मुद्रा

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

निविदा फार्म

“साफ-सफाई कार्य हेतु वित्तीय प्रस्ताव”

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम :- _____
2. स्थाई पता :- _____
3. रायपुर में फर्म का पूरा पता व कार्यालय कब से स्थापित है, संबंधी जानकारी (मय प्रमाण पत्र के) _____
4. टेलीफोन नम्बर:- _____ एस.टी.डी. कोड _____ ई-मेल एड्रेस _____ मोबाईल नम्बर _____
- (1) पुराना भवन/नवीन स्ट्रॉगरूम भवन :- सफाई कर्मचारी समस्त तल के लिये एवं प्रसाधन कक्षों के लिये कार्यालयीन दिवसों में सुबह 8:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक एवं अवकाश के दिनों में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक।
- (2) एकीकृत भवन भू-तल/प्रथम-तल :- सफाई कर्मचारी भू-तल एवं प्रथम-तल के लिये एवं समस्त प्रसाधन कक्षों के लिये कार्यालयीन दिवस में।
- (3) नवीन डाटा कक्ष :- सफाई कर्मचारी भूतल एवं प्रथम तल के लिए एवं समस्त प्रसाधन कक्षों के लिए कार्यालयीन दिवस में।
- (4) नवीन परीक्षा कक्ष :- सफाई कर्मचारी भूतल के लिए एवं समस्त प्रसाधन कक्षों के लिए कार्यालयीन दिवस में।
- (5) मेन गेट से अंदर आवासीय परिसर तक :- सफाई कर्मचारी प्रातः 07 बजे से 09 बजे तक नालियों एवं पूरे परिसर की साफ-सफाई करेंगे। विलम्ब पर मण्डल द्वारा अर्थदण्ड आरोपित किया जावेगा।
- (6) सुपरवाइजर :- सफाई ठेकेदार सुपरवाइजर अपनी आवश्यकतानुसार स्वयं रखें।
- (7) मण्डल परिसर स्थित भवनों की सफाई के लिए कार्य क्षेत्रफल का अवलोकन हेतु भवन शाखा से कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संपर्क किया जा सकता है।
- (8) सफाई ठेकेदार सफाई कर्मियों हेतु प्रतिदिन के लिए उपस्थिति पंजी संघारित करेंगे एवं सप्ताह में एक बार प्रभारी अधिकारी से सत्यापित करायेंगे।
- (9) छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के पुराना कार्यालय भवन, एकीकृत भवन के भू-तल/प्रथम-तल एवं समस्त परिसर, नवीन स्ट्रॉगरूम भवन, नवीन डाटा कक्ष, नवीन परीक्षा कक्ष, सम्पूर्ण कार्यालय परिसर एवं आवासीय परिसर की साफ-सफाई कार्य की राशि प्रतिमाह समस्त सामग्री का मूल्य एवं समस्त कर सहित :-
अंकों में रूपये : _____
शब्दों में रूपये : _____

मैंने/हमने निविदा में दी गई समस्त शर्तें पढ़ ली हैं, मुझे/हमें समस्त शर्तें स्वीकार हैं। प्रमाण स्वरूप मैंने/हमने निविदा की शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं फर्म की मुद्रा

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर


—: निविदा की शर्तें / जानकारी :—

01. निविदा प्रदायकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के आयकर रिटर्न (INCOME TAX RETURN), जी.एस.टी. रिटर्न की छाया प्रति, श्रम विभाग की अनुज्ञप्ति तथा रजिस्ट्रार आफ कम्पनी या फर्म एवं सोसायटी या नगर निगम या नगर पालिका छ.ग. का पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें।
02. सफाई कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों का शासन एवं श्रम कानून द्वारा निर्धारित समस्त नियमों का पालन ठेकेदार द्वारा किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में मण्डल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। उक्त संबंधित विभागों द्वारा जानकारी मांगे जाने पर समस्त अभिलेख निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
03. राज्य स्तरीय कार्यालयों में कम से कम 10.00 लाख वार्षिक राशि का कार्य एवं कम से कम 03 वर्ष साफ-सफाई कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। साथ ही उक्त संस्था द्वारा जारी कार्य संतुष्टि प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
04. प्रत्येक निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) का एफ.डी. जो सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के नाम से देय हो संलग्न करना होगा।
05. निविदाकर्ता द्वारा निविदा, निर्धारित तिथि एवं समय पर सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को संबोधित करते हुए भवन शाखा में प्रस्तुत की जा सकती है।
06. निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी।
07. निविदा को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को होगा।
08. ठेकेदार को मण्डल कार्यालय भवन एवं परिसर में स्थित सभी भवनों के कक्ष, बरामदे, छत, ऑगन, शौचालयों, रेलिंग, गलियारों, सीढ़ियों, नालियों, चेम्बर समस्त खुले परिसर की साफ-सफाई करना होगा तथा दरवाजों, खिड़कियों से धूल-जाले तथा पान तम्बाखू के दाग भी हटाना होगा।
09. आवासीय परिसर की समस्त खुले परिसर की साफ-सफाई, सीढ़ियों, नालियों की साफ-सफाई प्रतिदिन दो बार करना होगा।
10. मण्डल कार्यालय, आवासीय परिसर एवं शिक्षक सदन की समस्त प्रसाधन कक्षों के चेम्बर, पाईप लाईन जाम तथा नालियों की सफाई करना आवश्यक होगा।
11. शौचालयों की सफाई में उत्तम गुणवत्ता के फिनाईल, लिक्विड सोप, फिनाईल गोलियों, ऑडोनील फेशनर, टॉयलेट पेपर रोल के प्रयोग के साथ हारपिक जैसे लिक्विड के प्रयोग से किया जाना होगा, शौचालयों की सफाई प्रति घंटे के अंतराल में करनी होगी। समस्त सामग्री का स्टॉक भी निरन्तर रखना होगा।

/2/

12. जिन कक्षों में कारपेट लगे हो, वहां वैक्यूम क्लीनर एवं शैम्पू से सफाई किया जाना होगा।
13. उस्टबीन तथा थूकदानों की सफाई कर, कचरा हटाकर परिसर में नियत स्थान पर ले जाकर डालना होगा तथा थूकदान की रेत प्रतिदिन बदलनी होगी।
14. महिला शौचालयों की सफाई हेतु महिला सफाई कर्मी आवश्यक रूप से रखना होगा।
15. सफल निविदाकार द्वारा सभी सफाई कर्मी को ड्रेस देना होगा तथा शर्ट की जेब में सफाई कर्मी अंकित हो, जो स्पष्ट दिखाई दें।
16. साफ-सफाई के साथ पोछा एवं धुलाई करना होगा, साथ ही फर्श, सीढ़ियों, रेम्प (टाइल्स, मार्बल व फर्श) की सफाई करनी होगी।
17. सभी फर्नीचरों, दरवाजों, खिड़कियों की तथा कॉच/ग्रिल की रोजाना सफाई की जायेगी।
18. मशीनों का उपयोग मार्बल/कोटा स्टोन, टाइल्स तथा फर्श आदि के लिए किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मशीन जिससे कार्यगुणवत्ता बढ़ती हो तो निविदाकर्ता उसका पृथक से उल्लेख निविदा प्रस्ताव में कर सकता है।
19. सफाई कर्मियों को अनुशासन में रहकर कार्य करना होगा तथा कक्षों में रखे अभिलेख एवं उपकरणों क्षति से बचाना होगा, यदि किसी अभिलेखों या उपकरणों को क्षति पहुंचाना पाया गया तो होने वाली हानि की सम्पूर्ण वसूली ठेकेदार से की जायेगी।
20. सफाई कर्मचारी नियमित रूप से प्रातः 8.30 से संध्या 5.30 तक आवश्यकतानुसार उपस्थित रहेंगे।
21. सुरक्षा की दृष्टि से, समस्त सफाई कर्मियों की व्यक्तिगत पहचान से संबंधित दस्तावेज की सत्यापित फोटो प्रति भवन शाखा में जमा करना आवश्यक होगा।
22. सफाई कर्मियों के संदिग्ध अवस्था में पाए जाने, मण्डल कर्मियों से दुर्व्यहार करने एवं ठीक से काम नहीं करने पर उसे मण्डल कार्यालय की साफ-सफाई कार्य से हटा दिया जावेगा।
23. मण्डल कार्यालय भवन की उचित साफ-सफाई नहीं होने पर शिकायत आने पर या निरीक्षण में लापरवाही एवं अनियमितता पाये जाने की स्थिति में रूपये 2,000/- (अक्षरी दो हजार रूपये) तक प्रतिदिन शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित कर कटौती मासिक देयक से की जावेगी।
24. सफाई की पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था निविदाकार फर्म द्वारा की जावेगी तथा मण्डल कार्यालय की भवन शाखा की देख-रेख में उसका उपयोग किया जावेगा, आवश्यकता पड़ने पर इसकी गुणवत्ता की जांच मण्डल कार्यालय या निर्देशानुसार अधिकृत समिति द्वारा की जावेगी।

25. परिसर में जब मशीनों का उपयोग नहीं रहेगा तब मण्डल द्वारा निर्धारित अवधि में मशीनों को परिसर से बाहर ले जाने की अनुमति मण्डल कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।
26. अनुबंध की अवधि तीन वर्ष के लिए होगी। कार्य संतोषप्रद नहीं होने की दशा में अथवा अनुबंध के शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा कभी भी अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
27. प्रत्येक माह सफाई का कार्य संतोषजनक पाये जाने तथा भवन शाखा द्वारा सत्यापन पश्चात् ही माह के अंत में प्रस्तुत देयक का भुगतान किया जावेगा।
28. अमानत राशि के रूप में जमा राशि ठेके की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में राजसात की जा सकेगी।
29. ठेके की अवधि में उत्पन्न होने वाले किसी विवाद पर निर्णय करने का सम्पूर्ण अधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को होगा तथा उनका निर्णय बंधनकारी होगा।
30. सफल संस्था को कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर अनुबंध संपादित कर कार्य प्रारंभ करना होगा।
31. साफ-सफाई करने वाली फर्म का नाम कुछ भी हो, उस पर की गई कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
32. मण्डल साफ-सफाई करने वाली फर्म के अनुभव को आधार मानेगा।
33. अनुबंधकर्ता नियत अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा और यदि बीच में कार्य छोड़ा गया तो नवीन ठेके से होने वाली क्षति की वसूली अनुबंधकर्ता से की जावेगी।


 (प्रोफेसर व्ही.के.गोयल)
 सचिव
 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
 रायपुर
